

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1037/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.10. 2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/117639/2021)

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र का पत्रांक-852/यू0पी0 67145-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023 दिनांक-24.08.2023, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्रांक-820/11-सी दिनांक-25.09.2023, इस कार्यालय के पत्रांक-655/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक-11.09.2023, पत्रांक-941/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-12.10.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर, क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक-1497/मी0क्षे0/33 दिनांक-18.10.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के पत्रांक-852/यू0पी0 67145-पी0एम0जी0एस0वाई0/2023 दिनांक-24.08.2023 द्वारा विषयक सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। जिसे इस कार्यालय के पत्रांक-655/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-11.09.2023 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक-820/11-सी दिनांक-25.09.2023 द्वारा आपत्ति लगाते हुए बिन्दुवार आपत्ति निराकरण आनलाईन अपलोड कर पूर्ण आनलाईन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्ति का आन लाईन निराकरण कर दिया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति निराकरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
आनलाईन पार्ट-1 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-		
1	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड है किन्तु सत्यापित नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वनभूमि का सत्यापित Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड कर दिया गया है।

2	सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार से अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार से अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	पावर ऑफ एटर्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि क्रमांक-ए-3 में श्री रमेश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कहीं पर श्री प्रशान्त यादव एवं कहीं पर श्री रमेश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर हैं, जोकि त्रुटिपूर्ण है।	इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग 1 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल के क्रम संख्या 17 पर EDS Reply (Point No. 3) के नाम से अभिलेख अपलोड कर दिया गया है।
आनलाइन पार्ट-2 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-		
1	ऑनलाइन क्रमांक-13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & Sol Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Gio Referenced Digitail Map & Sol Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digitail Map & Sol Toposheet आनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन क्रमांक-13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & Sol Toposheet अपलोड कर दिया गया है, परन्तु तकनीकी समस्या की वजह से ओपेन नहीं हो रहा है, इसलिए दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & Sol Toposheet को Additional information Details में अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन क्रमांक 13(iv) में अपलोड प्राक्कलन 625 पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे आनलाइन से डिलिट कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण का संशोधित प्राक्कलन भाग 2 के क्रमांक 13(iv) में आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग-2 में उपरोक्त बिन्दु-2 के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशोधित हिन्दी भाग-2 ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग-2 में संशोधित धनराशि का उल्लेख करते हुए, आनलाईन भाग 2 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल में अपलोड कर दिया गया है।

4	पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करें।	प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल आनलाईन भाग 2 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल् में अपलोड कर दिया गया है।
---	--	---

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 1037 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

OK